

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वाणिज्य एवं उद्योग विभाग**  
**मंत्रालय**

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
----000----

**//अधिसूचना//**

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक **01 MAR 2023**

क्रमांक एफ 20-103/2015/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका 20 अंतर्गत “छत्तीसगढ़ राज्य बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2019” लागू करता है।

यह नीति दिनांक 01 नवंबर, 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 तक की कालावधि के लिए लागू होगी। इस नीति को औद्योगिक नीति 2019-24 के बिन्दु क्रमांक-15.1 की तालिका में अनुक्रमांक 26 तथा परिशिष्ट क्रमांक 6.26 पर समावेशित किया जाता है।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार**

(भुवनेश यादव)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. 20-103/2015/11/(6) नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक , 2023

प्रतिलिपि :-

- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मानवीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
- संचालक, उद्योग संचालनालय, भूतल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्रमांक-1, तेलीबांधा, रायपुर, (छत्तीसगढ़)
- प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्रमांक-1, तेलीबांधा, रायपुर, (छत्तीसगढ़)
- नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।

समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .....

— हस्ता. —

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वाणिज्य एवं उद्योग विभाग**  
**मंत्रालय**

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
-----000-----

**//अधिसूचना//**

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक

2023

क्रमांक एफ 20-103/2015 /11/(6) चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका 20 अंतर्गत “छत्तीसगढ़ राज्य बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2019” लागू करता है।

यह नीति दिनांक 01 नवंबर, 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 तक की कालावधि के लिए लागू होगी। इस नीति को औद्योगिक नीति 2019-24 के बिन्दु क्रमांक-15.1 की तालिका में अनुक्रमांक 26 तथा परिशिष्ट क्रमांक 6.26 पर समावेशित किया जाता है।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार**

—हस्ता.—

(भुवनेश यादव)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. 20-103/20 /11/(6) नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक **11 MAR 2023**  
प्रतिलिपि :-

- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
.....विभाग मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
- संचालक, उद्योग संचालनालय, भूतल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्रमांक-1, तेलीबांधा, रायपुर, (छत्तीसगढ़)
- प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्रमांक-1, तेलीबांधा, रायपुर, (छत्तीसगढ़)
- नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।

समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .....

सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग



## औद્યોગિક નીતિ 2019 - 24

(કે અંતર્ગત કંડિકા- 20 મેં વર્ણિત પ્રાવધાન કે પરિપાલન મેં)

**‘છત્તીસગઢ બંદ એવં બીમાર ઉદ્યોગોં હેતુ**  
**વિશેષ પ્રોત્સાહન નીતિ – 2019’**

છત્તીસગઢ શાસન  
વાળિજ્ય એવં ઉદ્યોગ વિભાગ

## छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति - 2019

### अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	प्रस्तावना	3-4
2	उद्देश्य	4-5
3	शीर्षक	5
4	क्रियान्वयन अवधि	5
5	परिभाषाएं	5-8
6	उद्योगों के बंद/बीमार होने के कारण	8
7	रणनीति	9
8	क्षेत्र/पात्रता	9-11
9	पात्र आवेदनकर्ता	11
10	अपात्र उद्योग	11
11	प्रक्रिया	12-14
12	बीमार/बंद उद्योगों के लिए पैकेज	14-19
13	वित्त पोषण के संबंध में	19
14	गैर-वित्तीय सुविधाएं	19-20
15	बंद/बीमार घोषित उद्योग के दायित्व	20
16	क्रियान्वयन अवधि व समीक्षा	20

## छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति - 2019

### 1 प्रस्तावना-

नवीन राज्य गठन के पश्चात् राज्य शासन ने नियोजित रूप से राज्य के समग्र औद्योगिक विकास हेतु “औद्योगिक नीति 2001-06” “औद्योगिक नीति 2004-09”, “औद्योगिक नीति 2009-14”, “औद्योगिक नीति 2014-19” एवं ”औद्योगिक नीति 2019-24” लागू की गई है। राज्य में लागू की गई औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किये जाने के फलस्वरूप राज्य में तीव्र गति से समग्र औद्योगिक विकास हो रहा है।

वर्तमान में राज्य में कई औद्योगिक क्षेत्र हैं। मुख्य औद्योगिक क्षेत्र रायपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र उरला एवं सिलतरा, बिलासपुर जिले के सिरगिड्डी, दुर्ग जिले के बोरई तथा हल्का एवं भारी औद्योगिक क्षेत्र भिलाई हैं, जिनमें विभिन्न श्रेणियों के सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद्, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स स्थापित हैं। राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भी उद्योग स्थापित हुए हैं। जितनी तीव्र गति से उद्योगों की स्थापना हो रही है उनसे जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण इन स्थापित उद्योगों में से कुछ उद्योग बीमार / बंद भी हुये हैं।

उपरोक्त संदर्भ में राज्य को इन बीमार/बंद उद्योगों में हुये निवेश को राज्य / देश के हित में पुनः संचालित किया जाना आवश्यक है ताकि इन उद्योगों में देश के निवेशित संसाधन यथा भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के द्वारा ऋण एवं अग्रिम के रूप में प्रदान किये गये वित्तीय संसाधनों को पुनः देश हित में क्रियाशील किया जा सके। इससे जहां एक ओर उद्योगों के पुनः संचालित होने से अवरुद्ध निवेश पुनः उपयोग में आ सकेगा वहीं इसके माध्यम से पुनः रोजगार के अवसर सृजित/ पुनः स्थापित हो सकेंगे तथा उद्योगों में पूंजी निवेश का प्रवाह पुनः प्रारंभ हो सकेगा एवं रोजगार के अवसरों में बढ़ोतारी के साथ-साथ राज्य शासन की प्राप्तियों में भी वृद्धि होगी।

बंद उद्योगों को पुनः प्रारंभ करने, बीमार अवस्था से बाहर लाने हेतु वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा इन उद्योगों के वित्तीय संसाधनों की पूर्ति के साथ-साथ राज्य शासन के औद्योगिक प्रोत्साहन की भी आवश्यकता है।

राज्य गठन के पश्चात् वर्ष 2001-02 में राज्य शासन द्वारा राज्य के बंद उद्योगों को पुर्जीवित करने हेतु विद्युत प्रदाय में विशेष रियायतें दिये जाने हेतु एक विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की गयी थी, जिसके अच्छे परिणाम आये थे व राज्य में कई बंद पड़े फेरो एलायज उद्योग पुनः प्रारंभ हो गये थे, किन्तु उद्योगों की विभिन्न श्रेणियों में बंद/बीमार उद्योगों के पुनर्संचालन /

पुनर्वास हेतु “विद्युत” के अतिरिक्त अन्य प्रभावी सेक्टर भी है, जिनसे संबंधित सुविधाएं/रियायतें प्राप्त होने से बंद/बीमार उद्योगों का पुनः संचालन/पुनर्वास होने में सहायता प्राप्त होगी।

## 2 उद्देश्य -

1. बंद/बीमार पड़े उद्योगों को पुर्णसंचालित/पुनर्वासित कराना, ताकि बंद/बीमार पड़े उद्योगों में उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् /क्षमता के अनुरूप उत्पादन होने के पश्चात रोजगार के नये अवसर सृजित हो/रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो।
2. बंद पड़े उद्योगों में अवरुद्ध भूमि का औद्योगिक उपयोग प्रारंभ कराना।
3. पुनर्वास योग्य बीमार एवं बंद पड़े उद्योगों को पुनर्संचालित/पुनर्वासित कराने में उद्यमियों को/वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को सहयोग प्रदान करना।
4. पुनर्वास योग्य बीमार/बंद उद्योगों की अवरुद्ध पूँजी को गतिशील बनाना ताकि परिणाम स्वरूप उद्योग प्रारंभ होने के पश्चात राज्य शासन के राजस्व जैसे:- वेटकर, प्रवेश कर, एकसाइज इयूटी, मंडी शुल्क, विद्युत चार्जेस, विद्युत शुल्क, रॉयल्टी, जल चार्जेस एवं उपकरों में वृद्धि हो।
5. बीमार/बंद पड़े उद्योगों के संभावित क्रेताओं को प्रोत्साहित कर बंद/बीमार उद्योगों के क्रय एवं पुनर्संचालन हेतु प्रोत्साहित करना।
6. समय पर एवं उपयुक्त सहायता देकर उद्योगों को बीमार होने से बचाना।
7. वित्तीय संस्थाओं/बैंकों में बंधक बंद/बीमार उद्योगों की परिसम्पत्तियां जिसमें राज्य शासन की भूमि भी समिलित है, का औद्योगिक उपयोग संभव करना।
8. औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की बढ़ती हुई मांग व सीमित आपूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए बंद उद्योगों की भूमि का उपयोग औद्योगिक प्रयोजनों हेतु करना।
9. भारत सरकार द्वारा पुनर्वास योग्य बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनःस्थापन एवं गैर पुनर्वास योग्य बीमार इकाईयों के परिसमापन हेतु “राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण (नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल) NCLT” एवं “राष्ट्रीय कम्पनी कानून व्यायाधिकरण (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) NCLT” जैसी वैधानिक संस्था स्थापित की गई है, किन्तु सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र इनकी परिधि में नहीं आता है, अतः सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बीमार होने से बचाना तथा बंद सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को पुनः प्रारंभ करने के लिये व्यवस्था निर्मित करना।

### 3 शीर्षक -

यह नीति औद्योगिक नीति 2019-24 की कालावधि हेतु “छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति- 2019” कही जावेगी एवं दिनांक 01 नवंबर, 2019 के पश्चात बंद एवं बीमार हुए उद्योगों पर लागू होगी। यह नीति केवल विनिर्माण उद्योगों पर लागू होगी।

4 क्रियान्वयन अवधि- यह नीति दिनांक 01 नवंबर, 2019 से दिनांक से 31 अक्टूबर, 2024 तक की कालावधि के लिए प्रभावशील होगी।

### 5 परिभाषाएं-

इस नीति के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार परिभाषाएं लागू होंगी -

#### 5.1 बीमार उद्योग - से आशय होगा :-

(1) कोई सूक्ष्म, लघु उद्योग इकाई (एमएसएमई अधिनियम 2006 यथा संशोधित- 2020 के अनुसार) “बीमार” तभी समझी जावेगी यदि इकाई के अंकेक्षित लेखों के आधार पर :

इकाई का सबसे अधिक ऋण वाला उधारी लेखा 02 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एन.पी.ए. (Non Performing Asset) बना रहे।

### अथवा

इकाई के नेटवर्थ में कमी हुई हो, जो गत लेखा वर्ष में संचित नगद हानि के कारण नेटवर्थ के 50 प्रतिशत की सीमा तक हो।

(2) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में एक बीमार उद्योग वह कहलायेगा जिसका ऋण खाता 6 माह या उससे अधिक अवधि हेतु NPA (Non Performance asset) हो गया हो या उद्योग में लगातार हानि (संचित हानि) होने के कारण उद्योग के नेटवर्थ में गत वर्ष के अंकेक्षित लेखों के आधार पर 50 प्रतिशत की कमी आ गई हो।

(3) उपरोक्त परिभाषाओं के अंतर्गत निम्नांकित श्रेणी के आवेदक उद्योग “बीमार” समझे जावेंगे :-

(3.1) जिनमें पुनर्वास योजना स्वीकृत की जा चुकी हो/तैयार की जा चुकी हो,

(3.2) शासकीय परिसमापक के माध्यम से उद्योग की परिसंपत्ति क्रय,

(3.3) सिक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायरेसियल असेट्स एण्ड इन्फोर्मेन्ट आफॉ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 के तहत किसी वित्तीय संस्था/ बैंक/ वित्तीय

- संस्थाओं/बैंकों द्वारा अधिकृत एजेन्सी से बीमार उद्योग की परिसंपत्ति करने वाले उद्यमी,
- (3.4) राज्य शासन तथा इसके उपक्रम छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा अधिग्रहण उपरांत उद्योगों का क्रय करने वाले उद्यमी भी समिलित मान्य किये जावेंगे अर्थात् ऐसे प्रकरणों में “बीमार उद्योग” की मान्यता/ पहचान हेतु समिति में विचार की आवश्यकता नहीं होगी एवं उन्हें ”बीमार उद्योग” मान्य किया जावेगा।

## 5.2 बंद उद्योग - से आशय है :-

- 5.2.1 औद्योगिक इकाई के उद्योग के बंद होने के पूर्व व्यूनतम दो वर्ष तक वाणिज्यिक रूप से उत्पादनरत् रही हो, तथा
- 5.2.2 इकाई विगत व्यूनतम लगातार 18 माह से बंद रही हो। बंद होने के कारण विद्युत विच्छेदन हुआ हो अथवा
- 5.2.3 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का इस अवधि में भरा गया निर्धारण प्रपत्र निरंक हो, अथवा
- 5.2.4 राज्य स्तरीय पुनर्वास समिति जिस कारण को मान्य करें।

उपरोक्त परिभाषा के तहत शासकीय परिसमापक के माध्यम से उद्योग की परिसंपत्तियों का क्रय, सिक्युरिटा इजेशन एण्ड रिकवरेशन आफ फायनेंसियल असेट्स एण्ड इन्फोर्मेन्ट आफ सिक्यरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 के तहत किसी वित्तीय संस्था/ बैंक/ वित्तीय संस्थाओं/बैंक द्वारा अधिकृत एजेन्सी से बंद उद्योग क्रय करने वाले उद्यमी, राज्य शासन के उपक्रम छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा अधिग्रहण उपरांत उद्योगों का क्रय करने वाले उद्यमी भी समिलित मान्य किये जावेंगे अर्थात् ऐसे प्रकरणों में ”बंद उद्योग” की मान्यता/पहचान हेतु समिति में विचार की आवश्यकता नहीं होगी एवं उन्हें बंद उद्योग मान्य किया जावेगा।

## 5.3 नेटवर्थ - के प्रकरणों में नेटवर्थ का आशय प्रदत्त पूंजी तथा फ्री-रिजर्व के योग से है। एकल स्वामित्व/भागीदारी/सीमित दायित्व साझेदारी/सहकारी समिति व अन्य के प्रकरणों में नेटवर्थ का आशय एकल स्वामी/भागीदारो/सीमित दायित्व साझेदारी/सहकारी समिति के सदस्यों की कुल पूंजी एवं फ्री-रिजर्व के योग से होगा।

## 5.4 फ्री-रिजर्वस - से आशय उस जमा पूंजी से है जो लाभ तथा शेयर प्रीमियम लेखा से प्राप्त हुई हो, परन्तु इसमें एकीकरण प्रावधानों के अंतर्गत आस्तियों के पुर्वमूल्यांकन तथा कम किये गये अवक्षयण (Depreciation) से निर्मित पूंजी समिलित नहीं होगी।

- 5.5 बैंक -** से आशय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित/अनुज्ञा प्राप्त बैंक तथा जिला सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक एवं सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी बैंक से है।
- 5.6 वित्तीय संस्था -** से आशय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक क्रेडिट एवं इंवेस्टमेंट निगम, भारतीय औद्योगिक इंवेस्टमेंट बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), जो औद्योगिक इकाईयों को ऋण देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अधिकृत है। वित्तीय संस्था से आशय भारत सरकार/ राज्य शासन के उस निगम से भी है जिसे ऋण प्रदान करने हेतु भारत सरकार/राज्य शासन की स्वीकृति प्राप्त हुई हो।
- 5.7 व्यवहार्य बीमार इकाई (Viable Sick Unit)-** से आशय विनिर्माण क्षेत्र की ऐसी औद्योगिक इकाई से है, जिसमें प्लांट व मशीनरी में 5 लाख रुपये से अधिक का पूँजी वेष्टन हो, इस नीति में घोषित पैकेज को देने के पश्चात वित्तीय संस्थाओं/बैंकों के पुर्वरचित ऋण एवं ब्याज का निर्धारित अवधि में भुगतान के साथ-साथ राज्य शासन के वाणिज्यिक कर विभाग, ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उद्योग विभाग, जल संसाधन विभाग, खनिज संसाधन विभाग, आबकारी विभाग अथवा इनकी एजेंसियां/ निगम/बोर्ड एवं विभिन्न श्रम कानूनों के तहत गठित राज्य शासन के निकाय जिन्हें इकाई से देय भुगतान प्राप्त करने के वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, को देय देनदारी का भुगतान भी पैकेज की क्रियान्वयन अवधि में कर सके।
- 5.8 भुगतान हेतु बकाया राशि-** से आशय राज्य शासन के वाणिज्यिक कर विभाग, ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उद्योग विभाग, जल संसाधन विभाग, खनिज संसाधन विभाग, आबकारी विभाग अथवा इनकी एजेंसियां/निगम/बोर्ड तथा विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत गठित राज्य शासन के निकायों जिन्हें इकाई से देय भुगतान प्राप्त करने के वैधानिक अधिकार प्राप्त है, की देनदारी से है।
- 5.9 अप्रैल एजेंसी -** से आशय आई.डी.बी.आई./सिडबी द्वारा सूचीबद्ध औद्योगिक कन्सल्टेन्ट, सिटकॉन, उद्यमिता विकास केन्द्र, या वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा इस संबंध में निर्धारित एजेन्सी से है।
- 5.10 आधार तिथि -** से आशय है वह तिथि जिस तिथि को राज्य शासन द्वारा बंद/बीमार उद्योगों के पुनर्वास हेतु बीमार/बंद उद्योग घोषित/विशेष प्रोत्साहन योजना लागू किये जाने लिया गया हो।

**5.11 अन्य परिभाषाएं** - इस नीति के क्रियान्वयन हेतु जो परिभाषाएं इस नीति में नहीं हैं, उनके संबंध में औद्योगिक नीति 2019-24 / भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषाएं यथास्थिति जो लागू हो, प्रभावी होंगी।

## **6 उद्योगों के बंद/बीमार होने के कारण -**

1. उद्योगों में कुप्रबंधन।
2. उत्पाद की मांग एवं पूर्ति में असंतुलन।
3. उद्योग के संचालकों/साझेदारों/सदस्यों में विवाद।
4. उद्योग में अपनाई जा रही पुरानी तकनीक।
5. उद्योगों को प्राप्त ऋण/पूँजी का अन्य उद्योगों में निवेशित कर देना।
6. उद्योगों को प्राप्त ऋण/पूँजी का अनुत्पादक कार्यों में व्यय कर देना।
7. तकनीकी कौशल का अभाव।
8. उद्यमिता एवं विशेषज्ञता का अभाव।
9. विपणन समस्या व कड़ी प्रतिस्पर्धा।
10. उद्योग हेतु आवश्यक कच्चे माल की कमी/कच्चे माल की अधिक लागत।
11. उद्योग स्वामी के नियंत्रण से परे कारण।
12. निवेशक का जानबूझकर डिफाल्टर होना।
13. अन्य कारण जो राज्य स्तरीय पुनर्वास समिति द्वारा मान्य किया जाये।

## **7 रणनीति -**

1. राज्य शासन द्वारा संपूर्ण राज्य में बंद/बीमार उद्योगों की सूची बनायी जावेगी।
2. राज्य शासन द्वारा बंद/बीमार उद्योगों को पुनः प्रारंभ कराने के प्रयास किये जायेंगे।
3. इन नीति के अन्तर्गत पात्र बीमार एवं बंद इकाईयों के पुनर्वास/पुनर्संचालन हेतु पैकेज दिया जावेगा।
4. सिक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायब्रेन्सियल असेट्स एण्ड इन्फ्रार्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इन्ड्रेस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत बंद इकाईयों के पुनर्संचालन हेतु संबंधित वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से समन्वय कर उद्योगों को शीघ्र प्रारंभ कराया जावेगा।

8 क्षेत्र / पात्रता - इस नीति के अंतर्गत सम्मिलित है :-

- (1) बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से बीमार/बंद उद्योगों का क्रय।
- (2) शासकीय परिसमापक (Government liquidator) के माध्यम से बंद उद्योगों का क्रय।
- (3) सिक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकल्ट्यूशन ऑफ फायनेन्सियल असेट्स एण्ड इन्फोर्मेट ऑफ सिक्युरिटी इन्फ्रेस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत किसी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अधिग्रहित उद्योगों का क्रय।
- (4) राज्य शासन के उपक्रमों द्वारा अधिग्रहित उद्योगों का क्रय।
- (5) निजी निवेशकों द्वारा किसी बंद/बीमार पड़े उद्योगों का क्रय।
- (6) उद्योग स्वामी द्वारा अपने बंद/बीमार उद्योग के पुनर्वास/पुनर्जीवन।
- (7) उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में व्यूनतम पांच लाख रुपये का पूँजी निवेश हो।
- (8) उपरोक्त अनुक्रमांक 1 से 7 तक अंकित उद्योगों के अतिरिक्त निम्नलिखित उद्योगों को भी इस नीति के अंतर्गत पात्रता होगी। बशर्ते कि प्रावधानित सुविधाओं की पात्रता नीति में अन्वयथा अपवर्जित नहीं हों।
  - (8.1) ऐसी इकाई जिसने उद्योग स्थापना का कार्य आरंभ किया किंतु, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं कर सकी, यदि ऐसी इकाई द्वारा विभाग से किसी भी प्रकार का आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त नहीं किया गया है तो ऐसी इकाई की परिसंपत्ति को किसी अन्य उद्यमी/फर्म/कंपनी द्वारा एन.सी.एल.टी. (National Company Law Tribunal) अथवा सरफेसी एक्ट के प्रावधानों के तहत् क्रय किये जाने पर नवीन क्रेता के द्वारा उद्योग आरंभ किये जाने पर इकाई को “नवीन इकाई” के रूप में अनुदान की पात्रता होगी।

उपरोक्त स्थिति में निवेश की गणना में नवीन क्रेता के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख/अनुबंध में अंकित राशि तथा अनुबंध के निष्पादन दिनांक से उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक तक एवं उत्पादन दिनांक से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों/सेवा उद्यमों हेतु 6 माह, मध्यम उद्योग/मध्यम सेवा उद्यम हेतु 12 माह, वृहद उद्योगों हेतु 18 माह एवं मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों हेतु 24 माह तक किया गया निवेश मान्य होगा।

- (8.2) ऐसी इकाई जिसने उद्योग स्थापना का कार्य आरंभ किया तथा विभाग से रटाम्प शुल्क/भू-प्रीमियम में छूट प्राप्त किया गया है किंतु, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं कर सकी, यदि ऐसी इकाई द्वारा विभाग से किसी भी प्रकार का अन्य आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त नहीं किया गया है तो तो ऐसी इकाई की परिसंपत्ति को किसी अन्य उद्यमी/फर्म/कंपनी द्वारा एन.सी.एल.टी. (National Company Law Tribunal) अथवा सरफेसी एक्ट के प्रावधानों के तहत् क्रय किये जाने पर, नवीन क्रेता के पक्ष में पूर्व में लिए गए छूट यथा रटाम्प शुल्क

छूट/भू-प्रीमियम में छूट की अधिसूचना के शर्तों के अधीन शेष अनुदान/छूट/रियायत हेतु पात्रता होगी।

- (8.3) ऐसी इकाई जो वाणिज्यिक उत्पादन में आने के उपरांत तथा वर्तमान में उत्पादनरत/बंद है परंतु विभाग से किसी भी प्रकार के अनुदान/छूट/रियायत नहीं लिया गया है। इकाई को किसी अन्य उद्यमी/फर्म/कंपनी द्वारा एन.सी.एल.टी. (National Company Law Tribunal) अथवा सरफेसी एकट के प्रावधानों के तहत् क्रय किए जाने पर ”नवीन इकाई” के रूप में इस नीति के तहत् औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी। निवेश की गणना में नवीन क्रेता के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख/अनुबंध में अंकित राशि जो बैंक द्वारा प्रमाणित हो मान्य किया जाएगा तथा इकाई में विस्तार/ शवलीकरण/प्रतिस्थापन किए जाने पर भी नियमानुसार इस नीति के तहत् अनुदान, छूट की पात्रता होगी।
- (8.4) ऐसी इकाई जो वाणिज्यिक उत्पादन में आ चुकी है तथा वर्तमान में उत्पादनरत है, साथ ही विभाग से अनुदान/छूट/रियायत प्राप्त कर चुकी है। ऐसी इकाई को किसी अन्य उद्यमी/फर्म/कंपनी को विक्रय करने से पूर्व विभाग से अनुमति लेना आवश्यक होगा। विधिवत् अनुमति पश्चात् इकाई को केवल प्रतिस्थापन/शवलीकरण विस्तार की स्थिति में नियमानुसार अनुदान/छूट/रियायत की पात्रता होगी।
- (8.5) ऐसी इकाई जो पूर्व में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर चुकी हो तथा वर्तमान में बंद हो, साथ ही विभाग से अनुदान/छूट/रियायत प्राप्त कर चुकी हो। ऐसी स्थिति में क्रेता ऐसी इकाई, विभाग द्वारा लागू बंद एवं बीमार उद्योग नीति के तहत् अनुदान/छूट/रियायत प्राप्त कर सकती है।
- (8.6) औद्योगिक नीति 2019-24 के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं सहित जिन सेवा इकाईयों को इस नीति के अंतर्गत आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाना है, ऐसी इकाईयां वाणिज्यिक/औद्योगिक व्यपवर्तित भूमि अथवा संबंधित सेवा हेतु व्यपवर्तित भूमि पर स्थापित हो सकेंगी।

(अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2021/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 31 दिसंबर, 2021 द्वारा क्र. 15.26 के पश्चात नवीन प्रावधान कंडिका क्रमांक- 15.27 के रूप में औद्योगिक नीति 2019-24 में उपरोक्त प्रावधानों का समावेशित है)

## 9 पात्र आवेदनकर्ता:-

इस नीति के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति/साझेदारी फर्म/कंपनी/सहकारी समिति/सीमित दायित्व साझेदारी/औद्योगिक इकाई उपरोक्त बिन्दु-8 अनुसार मान्य गतिविधियों के बंद/बीमार इकाईयों को पुनः प्रारंभ करने/पुनर्संचालन करने इस नीति का लाभ लेने के लिए आवेदन करने हेतु पात्र है।

## 10 अपात्र उद्योग-

इस नीति के अंतर्गत निम्नांकित श्रेणी के आवेदक/उद्योग पात्र नहीं होंगे :

- (1) भारत सरकार/राज्य शासन/राज्य शासन की किसी एजेंसी द्वारा किसी क्षेत्र विशेष हेतु निषेधित उद्योग।
- (2) भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा घोषित निषेधित उद्योग।
- (3) भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा काली सूची में डाले गये उद्योग।
- (4) भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा स्थापित उपक्रम।
- (5) पाक मसाला, गुटखा, सुपारी एवं तंबाखू आधारित उद्योग।
- (6) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस।
- (7) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग।
- (8) स्टोन क्रेशर।
- (9) लेदर टैनरी।
- (10) स्लाटर हाउस (बूचड़ खाना)।
- (11) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)।
- (12) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग/ग्राईडिंग/पलवराइजिंग।
- (13) अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निषेधित घोषित किये जाएं।

## 11 प्रक्रिया -

11.1 इस नीति के अन्तर्गत उपरोक्त सरल क्र. 8 अनुसार मान्य गतिविधियों में पात्र आवेदनकर्ता द्वारा किसी भी बंद उद्योग/बीमार उद्योग को पुर्नसंचालित करने/पुनर्वास हेतु संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

11.2 आवेदन के साथ-साथ बंद/बीमार उद्योग को पुर्नसंचालन/पुनर्वास हेतु विस्तृत योजना प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें उद्योग के बीमार/ बंद रहने की तथ्यात्मक स्थिति, उद्योग के बीमार/बंद होने के कारण, पुनर्संचालन हेतु किये जा रहे प्रयास, बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति, स्वयं का अंशदान, विगत वित्तीय वर्षों की अंकेक्षित बैलेंस शीट, बी.आई.एफ.आर./शासकीय समापक की टीप एवं उद्योग को पुर्नसंचालित करने/पुनः प्रारंभ करने की अवधि भी होगी।

11.3 आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुनर्वास योजना का अनुमोदन अप्रैजल एजेंसी से करवाना होगा। अप्रैजल एजेंसी अपने प्रतिवेदन में उद्योग के बंद/बीमार होने के कारणों (कंडिका क्र. 6 को ध्यान में रखते हुए) की व्याख्या करते हुए अपने सुझाव देगी व अभिमत में यह स्पष्ट अनुशंसा करेगी कि उद्योग बीमार/बंद उद्योग की परिभाषा के तहत आता है अथवा नहीं, इकाई व्यवहार्य बीमार इकाई है या नहीं तथा बीमार/बंद उद्योग का पुनर्संचालन/ पुनर्वास संभव है अथवा नहीं। एजेंसी अपने सुझाव भी दे सकेगी।

11.4 बीमार/बंद सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के पुनर्वास तथा पुनर्संचालन हेतु प्राप्त आवेदनों एवं आवेदनों की प्रस्तावित योजना, अप्रैजल एजेंसी की रिपोर्ट का परीक्षण मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा किया जावेगा तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न आवेदनों का एवं आवेदनों की प्रस्तावित योजना व अप्रैजल एजेंसी की रिपोर्ट परीक्षण उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा किया जावेगा।

11.5 बीमार/बंद उद्योगों के पुनर्वास/ पुनर्संचालन हेतु प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त निम्नानुसार समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा :

#### अ- जिला स्तरीय समिति (सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों हेतु) -

(1)	संबंधित जिले के कलेक्टर	अध्यक्ष
(2)	आयुक्त/संचालक उद्योग के प्रतिनिधि जो संयुक्त संचालक स्तर से कम न हो.	उपाध्यक्ष
(3)	क्षेत्रीय संचालक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान अथवा उनके प्रतिनिधि.	सदस्य
(4)	सहायक आयुक्त श्रम विभाग,	सदस्य
(5)	अग्रणी बैंक के अधिकारी	सदस्य
(6)	उद्योग की वित्त पोषित संस्था/ बैंक के शाखा प्रबंधक	सदस्य
(7)	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग	सदस्य
(8)	कार्यपालक अभियंता, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कम्पनी	सदस्य
(9)	संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग	सदस्य
(10)	खनिज अधिकारी	सदस्य
(11)	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग	सदस्य
(12)	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव

#### ब- राज्य स्तरीय समिति (सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न उद्योग-मध्यम, वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट हेतु ) -

(1)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(2)	भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग.	उपाध्यक्ष
(3)	भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग	सदस्य
(5)	भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग	सदस्य
(6)	भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग	सदस्य
(7)	भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग	सदस्य
(8)	भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज संसाधन विभाग	सदस्य
(9)	भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग.	सदस्य
(10)	भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग.	सदस्य
(11)	रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख	सदस्य
(12)	उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक जोनल कार्यालय	सदस्य
(13)	उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, रायपुर	सदस्य सचिव

**11.6** जिला स्तरीय समिति सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में एवं राज्य स्तरीय समिति सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न उद्योगों के प्रकरणों में बंद/बीमार उद्योगों के संबंध में निर्णय लेगी।

उक्त समितियां यह निश्चित करेगी कि आवेदक उद्योग बीमार/बंद की श्रेणी में आता है अथवा नहीं तथा इसके पुनर्वास/पुनर्संचालन की क्या संभावना है। समितियां संबंधित उद्योग से/आवेदक से योजना का प्रस्तुतिकरण भी प्राप्त कर सकेगी, आवश्यक होने पर उद्योग विशेष से संबंधित तकनीकी कंसल्टेंट/सलाहकार, अप्रैजल एजेंसी से परामर्श भी प्राप्त कर सकेगी। समितियां किसी विशेषज्ञ को भी आमंत्रित कर सकेगी।

जिला स्तरीय समिति एवं राज्य स्तरीय पुनर्वास समिति का कोरम 50 प्रतिशत होगा, समितियों की बैठक तीन माह में एक बार आवश्य होगी।

जिला एवं राज्य स्तरीय समितियों द्वारा यदि यह निर्णय लिया जाता है कि बीमार/बंद उद्योग के पुनर्वास/पुनर्संचालन संभव है, तो उसका पंजीयन किया जावेगा एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा संबंधित उद्योग को बीमार/बंद घोषित किये जाने बाबत् आदेश जारी किये जायेंगे।

## **12 बीमार/बंद उद्योगों के लिए पैकेज -**

### **12.1 बीमार उद्योगों के पुनर्वास हेतु पैकेज :**

(12.1.1) किसी भी बीमार घोषित उद्योग का क्रय करने पर निम्नांकित छूट दी जावेगी :

- (i) स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट
- (ii) पंजीयन शुल्क से पूर्ण छूट
- (iii) औद्योगिक क्षेत्रों/लैण्ड बैंक में उद्योग स्थापित होने की दशा में वर्तमान में प्रचलित भू-प्रब्याजि का 15 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से भू-हस्तांतरण शुल्क लिया जावेगा।

(12.1.2) औद्योगिक नीति 2019-24 के औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहनों की पात्रता को आधार मानकर बीमार उद्योग के खामी को या बीमार उद्योग के क्रेता को (यथा स्थिति जो लागू हो) निम्नानुसार पूर्णतः/शेष बची अनुदान, छूट एवं रियायत दी जावेगी, जिसका उपयोग बीमार उद्योग ने अपने उद्योग के संचालित रहने की अवधि में नहीं किया हो/आंशिक किया हो :

- 2.1 ब्याज अनुदान
- 2.2 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान
- 2.3 परियोजना प्रतिवेदन अनुदान
- 2.4 गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान

- 2.5 तकनीकी पेटेन्ट अनुदान
- 2.6 प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान
- 2.7 निःशक्त अनुदान
- 2.8 विद्युत शुल्क से छूट
- 2.9 प्रवेशकर भुगतान से छूट
- 2.10 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के अंतर्गत मंडी शुल्क छूट  
उदाहरणार्थ :-

- (अ) यदि किसी उद्योग ने औद्योगिक नीति 2004-09 के अंतर्गत एक सामान्य उद्योग 01 नवम्बर 2005 को स्थापित किया है व दो वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित 40 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान प्राप्त किया है व औद्योगिक नीति 2019-24 की अवधि में बीमार उद्योग घोषित होता है, तो शेष तीन वर्ष की अवधि हेतु ब्याज अनुदान की पात्रता औद्योगिक नीति 2019-24 के अधीन निर्धारित दर पर व अधिकतम सीमा के अधीन होगी।
- (ब) यदि कोई उद्योग औद्योगिक नीति 2004-09 के अधीन अनुदान, छूट एवं रियायतों हेतु अपात्र उद्योगों की श्रेणी में था एवं औद्योगिक नीति 2019-24 में पात्र है, तो पुनः उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2019-24 की शेष अवधि (उद्योग के प्रारंभ होने से बीमार घोषित होने तक की अवधि को पात्रता अवधि से कम करने के पश्चात् बची शेष अवधि) हेतु ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।
- (स) उद्योग स्थापना के पश्चात् दिये जाने वाले अन्य अनुदान (जैसे:- स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, निःशक्त अनुदान) यदि प्राप्त नहीं हुए हैं/ आंशिक प्राप्त हुए हैं तो बीमार उद्योग के क्रेता को पूर्ण/शेष बची राशि की पात्रता होगी।
- (द) उपरोक्तानुसार स्थिति उद्योग स्थापना के पश्चात् दिये जाने वाले छूट के प्रकरणों (विद्युत शुल्क से छूट, प्रवेशकर से छूट, मंडी शुल्क से छूट) में भी लागू होगी।

(12.1.3) बीमार घोषित उद्योग की भुगतान हेतु बकाया राशि को भुगतान करने हेतु 36 समान मासिक किश्तों/12 त्रैमासिक किश्तों में मूल राशि + संपूर्ण पेनाल्टी/ब्याज / अधिभार सहित भुगतान की सुविधा दी

जावेगी, इस निर्धारित अवधि में भुगतान न होने पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित बेस रेट पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

परन्तु, यह प्रावधान इस हेतु संबंधित विभागों के नियमों/अधिनियमों में संशोधन उपरांत अधिसूचना जारी होने पर पश्चातवर्ती प्रभाव से ही लागू होगा।

तथापि विद्युत देयकों के मामले में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित बेस रेट पर ब्याज का भुगतान के स्थान पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित सप्लाई कोड में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार अधिभार देय होगा।

(12.1.4) बीमार उद्योग के क्रेता के पक्ष में विद्युत कनेक्शन, जल कनेक्शन, कन्सेट टू ऑपरेट, राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले फॉरेस्ट क्लीयरेंस, स्थानीय निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि हस्तांतरित हो जाएंगे। परन्तु इसके लिए संबंधित विभागों के नियमों/अधिनियमों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करना होगी।

टीप:-(1) उपरोक्त पैकेज के लिए आवश्यक है कि सक्षम समिति को बीमार उद्योग घोषित करने हेतु आवेदन की तिथि को आवेदक के उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम 5.00 लाख रु. का पूंजी निवेश हो व फैक्टरी परिसर में मशीनरी स्थापित भी हो।

(2) किसी इकाई को बीमार उद्योगों के पुनर्वास का पैकेज केवल एक बार दिया जावेगा।

## 12.2 बंद उद्योगों के पुनः संचालन हेतु पैकेज :-

(12.2.1) किसी भी बंद घोषित उद्योग का क्रय करने पर निम्नांकित छूट दी जावेगी :

- (i) स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट
- (ii) पंजीयन शुल्क से पूर्ण छूट
- (iii) औद्योगिक क्षेत्रों/लैण्ड बैंक में उद्योग स्थापित होने की दशा में वर्तमान में प्रचलित भू-प्रब्याजि का 15 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से भू-हस्तांतरण शुल्क लिया जावेगा।

(12.2.2) औद्योगिक नीति 2019-24 के औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहनों की पात्रता को आधार मानकर बंद उद्योग के स्वामी या क्रेता को (यथा स्थिति जो लागू हो) निम्नानुसार पूर्णतः/शेष बची अनुदान, छूट

एवं रियायत दी जावेगी, जिसका उपयोग बंद उद्योग ने अपने उद्योग के संचालित रहने की अवधि में नहीं किया हो/आंशिक किया हो :

- 2.1 ब्याज अनुदान
- 2.2 स्थायी पूँजी निवेश अनुदान
- 2.3 परियोजना प्रतिवेदन अनुदान
- 2.4 गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान
- 2.5 तकनीकी पेटेन्ट अनुदान
- 2.6 प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान
- 2.7 निःशक्त अनुदान
- 2.8 विद्युत शुल्क से छूट
- 2.9 प्रवेशकर भुगतान से छूट
- 2.10 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के अंतर्गत मंडी शुल्क छूट  
उदाहरणार्थ :-

- (अ) यदि किसी उद्योग ने औद्योगिक नीति 2004-09 के अंतर्गत एक सामान्य उद्योग 01 नवम्बर 2005 को स्थापित किया है व दो वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित 40 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान प्राप्त किया है व औद्योगिक नीति 2019-24 की अवधि में बंद उद्योग घोषित होता है, तो शेष तीन वर्ष की अवधि हेतु ब्याज अनुदान की पात्रता औद्योगिक नीति 2019-24 के अधीन निर्धारित दर पर व अधिकतम सीमा के अधीन होगी।
- (ब) यदि कोई उद्योग औद्योगिक नीति 2004-09 के अधीन अनुदान, छूट एवं रियायतों हेतु अपात्र उद्योगो की श्रेणी में था एवं औद्योगिक नीति 2019-24 में पात्र है, तो पुनः उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2019-24 की शेष अवधि (उद्योग के प्रारंभ होने से बंद घोषित होने तक की अवधि को पात्रता अवधि से कम करने के पश्चात् बची शेष अवधि) हेतु ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।
- (स) उद्योग स्थापना के पश्चात् दिये जाने वाले अन्य अनुदान (जैसे:- स्थायी पंजी निवेश अनुदान, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, निःशक्त अनुदान) यदि प्राप्त नहीं हुए हैं/आंशिक प्राप्त हुए हैं तो बंद उद्योग के क्रेता को पूर्ण/शेष बची राशि की पात्रता होगी।

(द) उपरोक्तानुसार स्थिति उद्योग स्थापना के पश्चात् दिये जाने वाले छूट के प्रकरणों (विद्युत शुल्क से छूट, प्रवेशकर से छूट, मंडी शुल्क से छूट) में भी लागू होगी।

(12.2.3) किसी भी उद्योग को बंद घोषित करने के दिनांक तक भुगतान हेतु बकाया राशि की परिभाषा के अंतर्गत निहित विभागों/निकायों (ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, उद्योग विभाग, जल संसाधन विभाग, खनिज संसाधन विभाग, स्थानीय प्रशासन विभाग एवं श्रम कानूनों के अंतर्गत गठित राज्य शासन के निकाय) को देय राशियों का भुगतान तीन माह की अवधि के भीतर एकमुश्त करने पर संपूर्ण पेनाल्टी/ब्याज/अधिभार पूर्णतः माफ किया जावेगा।

**परन्तु यह प्रावधान संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार जारी अधिसूचना की तिथि से पश्चातवर्ती प्रभाव से ही लागू होगा।**

(12.2.4) उपरोक्त (3) के तहत यदि एकमुश्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो 36 समान मासिक /12 त्रैमासिक किश्तों में मूल राशि + संपूर्ण पेनाल्टी/ब्याज /अधिभार सहित भुगतान की सविधा दी जावेगी, इस निर्धारित अवधि में भुगतान न होने पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित बेस रेट पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

**परन्तु, यह प्रावधान इस हेतु संबंधित विभागों के नियमों/अधिनियमों में संशोधन उपरांत अधिसूचना जारी होने पर पश्चातवर्ती प्रभाव से ही लागू होगा।**

**तथापि विद्युत देयकों के मामले में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित बेस रेट पर ब्याज का भुगतान के स्थान पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित सप्लाई कोड में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार अधिभार देय होगा।**

(12.2.5) बंद उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में व्यूनतम 3.00 करोड़ रु० या उत्पादनरत विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी मद में मान्य निवेशित पूँजी के व्युनतम 25%, जो भी अधिक हो, का अतिरिक्त पूँजी निवेश करने पर, तथा उद्योग विभाग में पंजीकृत मूल क्षमता या औसत उत्पादन, जो भी अधिक हो, में व्यूनतम 25% की वृद्धि होती हो एवं कुल रोजगार में भी 10%, की वृद्धि हो तथा विस्तारित वाणिज्यिक उत्पादन इस नीति की कालावधि में प्रारंभ हो, तो किये गये अतिरिक्त पूँजी निवेश पर औद्योगिक नीति 2019-24 में घोषित अनुदान, छूट एवं रियायतें प्राप्त होगी (विस्तार/डायवर्सीफिकेशन आदि पर) किन्तु इसकी अधिकतम सीमा बंद उद्योग को देय शेष अनुदान एवं इस अतिरिक्त पूँजी निवेश पर देय

अनुदान की अधिकतम सीमा औद्योगिक नीति 2019-24 में घोषित अनुदान की सीमा से अधिक नहीं होगी।

(12.2.6) नये उद्योग को जल उपलब्धता की स्थिति में पुनः जल स्वीकृति देते समय कोई अतिरिक्त चार्जेस/सुरक्षा निधि नहीं ली जावेगी।

(12.2.7) बंद उद्योग के क्रेता के पक्ष में विद्युत कनेक्शन, जल कनेक्शन, कन्सेट टू ऑपरेट, राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले फॉरेस्ट क्लीयरेंस, स्थानीय निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि हस्तांतरित हो जावेंगे।

परन्तु यह प्रावधान संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार जारी अधिसूचना की तिथि से पश्चातवर्ती प्रभाव से ही लागू होगा।

- टीप:- (1) उपरोक्त पैकेज के लिए आवश्यक है कि उद्योग को बंद उद्योग घोषित करने हेतु आवेदन की तिथि को आवेदक के उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में व्यूनतम 5.00 लाख रु. का पूँजी निवेश हो व फैक्टरी परिसर में मशीनरी स्थापित भी हो।  
(2) किसी इकाई को बंद उद्योगों के पुनः संचालन हेतु पैकेज केवल एक बार दिया जावेगा।

#### 13 वित्त पोषण के संबंध में -

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बीमार/बंद लघु औद्योगिक इकाईयों के पुनर्स्थापन/पुनर्वास के संबंध में बैंको/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से समय-समय पर उपलब्ध कराई जाने वाले वित्त पोषण/सुविधाओं को पुनर्वास योग्य लघु औद्योगिक इकाईयों को दिलाने हेतु सहयोग किया जावेगा।

#### 14 गैर वित्तीय सुविधाएं -

14.1 बंद/बीमार घोषित उद्योग के श्रम विवादो का निपटारा श्रम विभाग द्वारा तत्प्रता से किया जाकर उसे हर संभव सहायता दी जावेगी ताकि उद्योग का संचालन सुचाल रूप से प्रारंभ होकर संचालित हो सके।

14.2 उद्योग विभाग द्वारा सिंगल विष्णो प्रणाली के माध्यम से समस्त प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।

#### 15 बंद/बीमार घोषित उद्योग के दायित्व-

15.1 बंद/बीमार घोषित उद्योग का दायित्व होगा कि पैकेज की प्राप्ति उपरांत 05 वर्ष की अवधि तक चार्टर्ड एकाउटेन्ट से अंकेक्षित लेखे व बैलेंस शीट उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को उपलब्ध कराएं। बंद/बीमार उद्योग को प्रतिवर्ष उत्पादन, लाभ, राज्य शासन को देय करो का भुगतान, व रोजगार से संबंधित जानकारी भी प्रदान करनी होगी।

- 15.2 बंद/बीमार घोषित अवधि तक उपक्रम द्वारा न तो लाभांश की घोषणा की जावेगी तथा न ही लाभांश का भुगतान किया जावेगा।
- 15.3 बंद/बीमार उद्योग द्वारा राज्य शासन की स्थानीय रोजगार देने की नीति (राज्य के स्थानीय निवासियों को अकुशल श्रेणी में 100 प्रतिशत, कुशल श्रेणी में 70 प्रतिशत, व प्रबंधकीय श्रेणी में 40 प्रतिशत रोजगार प्रदान करने की शर्त) का पालन करना होगा।
- 15.4 बंद/बीमार उद्योग का संचालन प्रभावी ढंग से करना होगा।
- 15.5 बंद/बीमार उद्योग को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा निर्धारित समरूप प्रदूषण निवारण यंत्रों की स्थापना करनी होगी, इनका सतत संचालन करना होगा तथा प्रदूषण निवारण के निर्धारित मापदण्डों का पालन करना होगा।
- 16 बंद/बीमार उद्योगों की नीति के क्रियान्वयन हेतु सभी संबंधित विभागों के द्वारा नीति के लागू होने के 03 माह के भीतर आवश्यक अधिसूचनाएं/ प्रशासकीय आदेश जारी किये जायेंगे एवं आवश्यकतानुसार प्रचलित कानून/नियम में संशोधन किये जायेंगे।
- 17 क्रियान्वयन अवधि व समीक्षा -
- “छत्तीसगढ़ बंद/ बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति, 2019” राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी व इसकी अवधि औद्योगिक नीति 2019-24 की कालावधि 31 अक्टूबर 2024 तक होगी। इस कालावधि में राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि वह राज्य के वित्तीय संसाधनों/वैश्विक/राष्ट्रीय स्तर पर बाजार के घट-बढ़, तेजी-मंदी, औद्योगिक विकास के विभिन्न मापदण्डों आदि को दृष्टिगत रखते हुए विशेष प्रोत्साहन नीति के प्रावधानों की समय-समय पर समीक्षा कर उसमें नये प्रावधानों का समावेश/ संशोधन एवं अंकित प्रावधानों का विलोपन करे।



(भुवनेश यादव)  
सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग